प्रेस नोट दिनांक 21.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 21.04.2026
थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के प्रकरण में बाल अपचारी को निगरानी में लिया गया-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण में, स0पु0अ0 (परिवीक्षाधीन)/थाना प्रभारी उदयपुर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 62/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस के अंतर्गत नाबालिग लड़की को शादी की नियत से भगाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री संजय यादव मय हमराह का0 अनिल यादव द्वारा सादे वस्त्रों में वांछित बाल अपचारी की तलाश/निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21.04.2026 को देवरी बॉर्डर से करीब 100 मीटर पूर्व, अठेहा की ओर से बाल अपचारी A पुत्र अमरबहादुर, उम्र लगभग 14 वर्ष, निवासी ग्राम रामदैपुर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी को चिन्हित कर विधि अनुसार निगरानी में लिया गया।

घटना ग्राम विजयी मजरे राजापुर, थाना उदयपुर से संबंधित है, जिसमें बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को शादी की नियत से बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है। बाल अपचारी को नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

निगरानी में लिया गया बाल अपचारी-
1- A पुत्र अमरबहादुर, उम्र लगभग 14 वर्ष, निवासी ग्राम रामदैपुर, थाना मुंशीगंज, जनपद अमेठी

पुलिस टीम-
उ0नि0 श्री संजय यादव मय हमराह का0 अनिल यादव थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 21.04.2026
थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा फर्जी खतौनी/अभिलेख कूटरचना प्रकरण में वांछित01 अभियुक्त संगमलाल यादव को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

वादी निवासी थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया है कि ग्राम बरई स्थित पैतृक भूमि के संबंध में विपक्षीगणों द्वारा कूटरचना कर फर्जी खतौनियां तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गईं तथा राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ की गई। उक्त कृत्य कथित रूप से राजस्व अभिलेखागार के कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया। जनसूचना अधिकार के तहत प्राप्त सूचना में संबंधित दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित पाए गए, जिन पर अभिलेखागार की मुहर व हस्ताक्षर भी असत्य हैं। सक्षम चकबंदी न्यायालय द्वारा भी अभिलेखों को संदिग्ध माना गया है। प्रार्थी के अनुसार धोखाधड़ी पूर्वक संपत्ति हड़पने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में थाना कुण्डा में मु0अ0सं0-34/2026 धारा-319 (2)/318 (4) बीएनएस बना 09 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 निर्मल शर्मा मय हमराह का0 विशाल मौर्या, का0 अजीत कुमार, म0का0 पूजा यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित अभियुक्त, वारंटी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-34/2026 धारा-319 (2)/318 (4)/ 338/336 (3)/340 (2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त संगमलाल यादव पुत्र स्व० हरिद्वारी प्रसाद यादव निवासी मंहगूलाल का पुरवा, बरई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. संगमलाल यादव पुत्र स्व० हरिद्वारी प्रसाद यादव निवासी मंहगूलाल का पुरवा, बरई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 निर्मल शर्मा मय हमराह का0 विशाल मौर्या, का0 अजीत कुमार, म0का0 पूजा यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 21.04.2026
थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त सुनील कुमार को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत भाव चौराहा के पास के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़ ।
वादी ने सूचना दी कि उसकी भांजी, जिसकी शादी 8 वर्ष पूर्व सुनील कुमार निवासी थाना बाघराय से हुई थी, को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 18.04.2026 की रात्रि में आरोप है कि उसके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई तथा बिना सूचना दिए गुप्त रूप से अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। इस संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 95/2026 धारा धारा 85/103 (1) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह का0 सौरभ शर्मा व का0 मानवेन्द्र सिंह मय चालक हे0का0 राजाराम सिंह* द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित अभियुक्त, वारंटी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 95/2026 धारा धारा 85/103(1) बीएनएस से सं ंबंधित 01 अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र राम कैलाश गौतम निवासी ग्राम काशीपुर धमावा, थाना बाघराय प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत भाव चौराहा के पास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सुनील कुमार पुत्र राम कैलाश गौतम निवासी ग्राम काशीपुर धमावा, थाना बाघराय प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-
थानाध्यक्ष बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह का0 सौरभ शर्मा व का0 मानवेन्द्र सिंह मय चालक हे0का0 राजाराम सिंह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 21.04.2026
थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का0 नीरज कुमार द्वारा एनबीडब्ल्यू माननीय न्यायालय sc/st स्पेशल कोर्ट सेशन केस न0 716/2022 धारा 3 (1)r, 3(1)s, 3(2)va sc/st ACT थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ बब्बू वर्मा पुत्र अशोक कुमार नि०ग्राम वर्मा नगर सराय भागवानी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सुरेन्द्र उर्फ बब्बू वर्मा पुत्र अशोक कुमार नि०ग्राम वर्मा नगर सराय भागवानी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का0 नीरज कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 21.04.2026
थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर महाराष्ट्र पुलिस को किया गया सुपुर्द

प्रतापगढ़।
क्राइम डिटेक्शन ब्रांच-2, वसई (मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय, महाराष्ट्र) के संदर्भित प्रकरण में दिनांक 19.04.2026 को वादी निवासी काशी अपार्टमेंट, नालासोपारा पूर्व, जनपद पालघर की तहरीर पर तुळींज पुलिस स्टेशन में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संख्या 296/2026, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तकनीकी एवं साक्ष्यात्मक जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की हत्या अभियुक्त आकाश गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता द्वारा धारदार हथियार से सिर, गर्दन एवं हाथों पर प्रहार कर की गई है। उक्त संबंध में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जनपद प्रतापगढ़ पुलिस को अवगत कराया गया।

इसी क्रम में पु लिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर

श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी जेठवारा श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में थाना जेठवारा के उ0नि0 राजेन्द्र पाण्डेय मय हमराह हे का0 सन्तराज, का0 सुनील सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित अभियुक्त, वारंटी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आकाश गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी ग्राम मोतीराम का पुरवा महियामऊ थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए क्राइम डिटेक्शन ब्रांच-2, वसई (मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय, महाराष्ट्र) को सुपुर्द किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. आकाश गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता नि०ग्रा० मोतीराम का पुरवा महियामऊ थाना जेठवारा जनपद प्रता0 ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राजेन्द्र पाण्डेय मय हमराह हे का0 सन्तराज, का0 सुनील सरोज थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।